अंबिका v/s कैलाश 2024/128

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/01/25	पत्रावली पेश हुई। P.O.मा. दौरे / कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं [illegible] जा सकी। पत्रावली दिनांक 12/2/25 को पेश हो।
	2/2/25	पत्रावली पेश [illegible] मा. दौरे / कार्य में [illegible] कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19/3/25 को पेश हो।
	19/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. राजीनामा पर बहस हेतु पत्रावली दिनांक 28.3.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
	28/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. राजीनामा पर बहस हेतु पत्रावली दिनांक 30.5.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
	30/05/25 Rachits 30/5/25 कैलाश उपस्थित 30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रकरण में राजीनामा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 06/06/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर
	06/06/25	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजीनामा का अवलोकन पश्चात्, वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार

Scanned with OKEN Scanner

अम्बिका V/S कैलाश 2024/128

क्रमांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:-116/2024 जी.सी.एम.एस नं0 2024/128

1. अविका पुत्री स्व. जितेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज. नाबालिग जरिए संरक्षिका प्राकृतिक माता रचिता खण्डेलवाल पुत्री सतीश चन्द गुप्ता जाति महाजन हाल आबाद-17 पटेल नगर प्रेम नगर पुलिया आगरा रोड जयपुर।
2. कानव पुत्र स्व. जितेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज. नाबालिग जरिए संरक्षिका प्राकृतिक माता रचिता खण्डेलवाल पुत्री सतीश चन्द गुप्ता जाति महाजन हाल आबाद 17 पटेल नगर प्रेम नगर पुलिया आगरा रोड जयपुर।

-:वादीगण:-

बनाम्

1. कैलाश पुत्र रामेश्वर जाति महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.
2. प्रतिभा गुप्ता पुत्री कैलाश पत्नि नरेश खूंटेटा हाल निवासी विद्युत नगर जयपुर राज.।
3. गौरव पुत्र कैलाश जाति महाजन (खण्डेलवाल)निवासी प्लाट नं. 11ए, बृजपुरी जगतपुरा जयपुर राज.।
4. भावना पुत्री स्व. जगदीश नाबालिग जरिये संरक्षिका सरपरस्त माता रामजानकी कौम महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।
5. सेनू पुत्र स्व. जगदीश ना.बा. जरिये संरक्षिका माता रामजानकी कौम महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।
6. रामजानकी पत्नि स्व. जगदीश जाति महाजन कौम महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।
7. सत्यनारायण पुत्र गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

-: प्रतिवादीगण:-

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :-श्री कुलदीप किशोर, एड0 वादीगण।

दिनांक:-06/06/2025

-:<u>निर्णय</u>:-

1. आज यह दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र वादीगण की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत है वादग्रस्त भूमि खाता सं नया 11 पुराना 10 हाल खसरा नं 193 क्षेत्रफल 0.0253 है, खसरा नं 194 क्षेत्र 0.8219 है, खसरा नं 260 क्षे. 0.8852 है, खसरा नं 65 क्षे. 0.0379 है, खसरा नं 66 क्षे 1.1001 है, कुल खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 2.8704 हैक्टेयर वाके ग्राम कानडवास पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर मे स्थित है। जिसकी खातेदारी साबिका राजस्व रिकार्ड में गंगासहाय वल्द धन्नालाल हिस्सा 1/2, व गोपाल पुत्र छीतर हिस्सा 1/2, कोम महाजन सा. देह के नाम दर्ज चली आ रही है। वादीगण के हक पूर्वाधिकारी गंगासहाय वल्द धन्नालाल का स्वर्गवास सन 1965

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

के लगभग हो गया तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 40 उनके प्रथम श्रेणी पुत्र वारिश रामेश्वर वल्द गंगासहाय जाति महाजन सा. देह के नाम दिनांक 14/6/1966 को ग्राम पंचायत बूड्थल द्वारा स्वीकृत किया गया तथा खातेदारी का अंकन वादीगण के हक पूर्वाधिकारी रामेश्वर पुत्र गंगासहाय के नाम दर्ज किया गया । तथा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी रामेश्वर पुत्र गंगासहाय वादग्रस्त आराजी पैतक भूमि के हिस्सा 1/2 पर साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे थे। वादीगण के पितामह रामेश्वर पुत्र गंगासहाय का स्वर्गवास सन 1967–68 के आसपास हो गया तथा उनकी विरासत का नामान्तकरण सं 41 प्रतिवादी सं 1 कैलाश पुत्र रामेश्वर जाति महाजन सा. देह हिस्सा 1/2 ग्राम पंचायत बूड्थल द्वारा स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया तथा वादग्रस्त सम्पत्ति के हिस्सा 1/2 पर वादीगण के दादा प्रतिवादी सं 1 काबिज काश्त चले आ रहे है। वाद पत्र में प्रतिवादी सं 1 कैलाश पुत्र रामेश्वर के नाम दर्ज पैतृक सम्पत्ति का हिस्सा 1/2 इस वाद पत्र मे विवादित है। जिसे भूमि वादग्रस्त कहकर सम्बोधित किया है। भूमि वादग्रस्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 के हक व पूर्वाधिकारी गंगासहाय बल्द धन्नालाल के जमाने से चली आ रही पैतृक सम्पत्ती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

भूमि वादग्रस्त के मूल खातेदार गंगासहाय वल्द धन्नालाल थे जिनके नाम उक्त पैतृक भूमि का हिस्सा 1/2 दर्ज चली आ रही है तथा रामेश्वर पुत्र गंगासहाय की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं 1 को विरासत में भूमि वादग्रस्त का हिस्सा 1/2 एवं हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सं 4 लगायत 7 को उनके हकपूर्वाधिकारी गोपाल पुत्र छीतर से प्राप्त हुई है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने से पीढी दर पीढी वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 लगायत 7 को विरासत मे प्राप्त हुई है जिसमे वादीगण के साम्पतिक अधिकार जन्म से निहित चले आ रहे है। तथा प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज भूमि वादग्रस्त का हिस्सा 1/2 पैतृक होने के साथ साथ संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है। तथा वादीगण प्रतिवादी सं 1 के जाईन्दा पुत्र स्व. जीतेन्द्र पुत्र श्री कैलाश के पुत्र–पुत्री है संयुक्त परिवार के सदस्य है। तथा प्रतिवादी सं 1 के परिवार में जन्म लेते ही वादीगण के हक व अधिकार कोपार्सनरी एवं पैतृक सम्पत्ति मे कानूनन सहहिस्सेदार बन चुके है तथा

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]
[illegible]
[illegible]

भूमि वादग्रस्त मे बाई बर्थ राईटस निहित हो जाने से वादीगण का नोशनल शेयर उक्त पैतृक सम्पति मे निहित हो चुका है तथा वादीगण प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज भूमि के कानूनन कोपार्सनर हो चुके है। तथा प्रतिवादी सं 1 के परिवार मे जन्म लेते ही वादग्रस्त सम्पति पर प्रतिवादी सं 1 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर वादग्रस्त आराजी के कानूनन खातेदार काश्तकार अधिकारी बन चुके है। भूमि वादग्रस्त पैतृक सम्पति होने से एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होने से उसमे प्रतिवादी सं 1 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 प्रतिवादी सं 2 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2, प्रतिवादी सं 3 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 व वादीगण का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 बनता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 अपने अपने हिस्से की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि वादग्रस्त वादीगण के दादा प्रतिवादी सं 1 की स्वअर्जित भूमि नही है बल्कि उन्हे अपने पिता रामेश्वर जी से विरासत मे प्राप्त हुई है जो पैतृक भूमि है जिसमे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण के हित व उत्तराधिकार जन्म के साथ ही निहित हो गये है। तथा आराजी वादग्रस्त भूमि मे वादीगण का 1/4 दर हिस्सा 1 /2 हिस्सा कानूनन निहित है। वादीगण अपने कोपार्सनरी हिस्से की खातेदारी भूमि के खातेदार घोषित करवाने के कानूनन हकदार है। वादीगण के पिता जितेन्द्र गुप्ता पुत्र कैलाश महाजन का कोरोना महामारी से दिनांक 13 /5 / 2021 को स्वर्गवास हो गया है। वादीगण नाबालिग है उनके हितो की सुरक्षार्थ यह वादपत्र उनकी प्राकृतिक संरक्षक माता के जरिये यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। भूमि वाददग्रस्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जे एवं स्वामित्व की पैतृक सम्पति है जिसमे प्रतिवादी सं 1 के 1/4 दर हिस्सा 1/2 से कतई अधिक हक व अधिकार निहित नही है लेकिन प्रतिवादी सं 1 प्रतिवादी सं 3 के असम्यक प्रभाव मे आकर वादीगणो के पैतृक अधिकारो को नुकसान पहूंचाने की गरज से भूमि वादग्रस्त का अवैधानिक रूप से बेचान करने पर आमादा है। हाल ही मे दिनांक 10/6/ 2024 को प्रतिवादी सं 1 कुछ भूमि कारोबारियो को वादग्रस्त आराजी को दिखाने अपने साथ लाया तथा बेचान के लिए कहने लगा जिसकी जानकारी होने पर वादीगण की माता ने प्रतिवादी सं 1 से सम्पर्क किया तथा उनसे निवेदन किया कि वादीगण आपके मृत पुत्र जितेन्द्र के नाबालिग पुत्र/ पुत्री सन्तान है तथा आपके पौत्र पोत्री है। भूमि वादग्रस्त विरासती पैतृक सम्पति है तथा कॉपार्सनरी सम्पत्ति है। ऐसी स्थिति में आप भूमि का बेचान नही करें। लेकिन प्रतिवादी सं 1 ने वादीगण की माता से ऐलानिया यह कहा कि वह पैतृक सम्पत्ति मे से पहले भी भूमि बेचान कर प्रतिवादी सं 3 को प्लॉट व भूखण्ड दिलवा चुका है तथा वादग्रस्त सम्पति के हिस्सा 1/2 की खातेदारी मेरे नाम दर्ज है मै इसका बेचान करूंगा। तथा प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज पैतृक सम्पत्ति का कुछ भू भाग जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया गया है जिसका मुआवजा भी प्रतिवादी सं 1 ने प्राप्त किया है। उक्त मुआवजे एवं प्रतिवादी सं 3 के नाम संयुक्त हिन्दू परिवार के नाम से क्रय की गई सम्पति को लेकर

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सिविल न्यायालय मे वाद पेश करने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वादीगण माननीय सक्षम न्यायालय मे यह वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे है। उपरोक्त परिस्थितियो मे वादीगण के पास माननीय न्यायालय की शरण के सिवाय और कोई रास्ता शेष नहीं है। वादीगण को पूर्ण आशंका है कि प्रतिवादी सं 1 भूमि वादग्रस्ता का अवैधानिक विक्रय दिगर व्यक्तियों को कर सकता है। इसलिए वादीगण अधिकारी है कि वह माननीय न्यायालय से अपने हक व हिस्से की खातेदारी व काश्तकारी अधिकारो की घोषणा करवाने और अपने नोशनल शेयर का विभाजन करवाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवावे कि वे वादीगण के शांतीपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखल नही देवे, ना ही भूमि वादग्रस्त का विक्रय किसी व्यक्तिया संस्था को करे, ना ही भूमि की किस्म परिवर्तन करे, ना ही ऐसा कोई कार्य करे जो वादीगण के हक व अधिकारो के विरूद्ध हो । वादीगण को वाद कारण दिनांक 10/6/ 2024 की घटना से उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर बना हुआ है। प्रतिवादी सं 8 दस्तावेज पंजीयन करने में सक्षम है इसलिए वाद पत्र मे पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं 9 राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन करने में सक्षम है। जिसकी पूर्ण संभावना है। वाद अर्जेन्ट नेचर का है, इसलिए उनको धारा 80 सी.पी.सी के तहत दो माह पूर्व का कानूनी नोटिस दिया जाना संभव नही है। इसलिए धारा 80 सी.पी.सी के नोटिस से अभिमुक्ति दिये जाने तथा वाद पेश करने की अनुमती के लिए प्रार्थना पत्र 80 (2) सी.पी.सी पेश किया जाकर माननीय न्यायालय की अनुमति से वाद पत्र पेश है। प्रतिवादी सं 2 लगायत 7 सहखातेदार है तथा विभाजन के वाद पत्र मे आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। भूमि वादग्रस्त ग्राम कानडवास तहसील बस्सी मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को भूमि वादग्रस्त हाल खाता सं 11 खसरा नं 193, 194, 260, 65, 66 कुल किता खसरा 5 कुल क्षेत्रफल 2.8704 हैक्टर ग्राम कानडवास पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर के हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने हेतु तहसीलदार बस्सी को आदेश प्रदान किया जावे। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत विभाजन डिक्री फरमाया जाकर वादीगण के नोशनल शेयर हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/2 का विभाजन किया जाकर पर्चा खातेदारी व लगान पृथक पृथक दर्ज किया जावे। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के शांतीपूर्ण कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग मे दखलंदाजी नही करे, भूमि वादग्रस्त का अवैधानिक हिस्से से अधिक विक्रय दिगर लोगो को नही करे, ना ही भूमि की किस्म परिवर्तित करे, ना ही अवैध खातेदारी इन्द्राज के आधार पर भूमि का किसी अन्य के हक में विक्रय करे, हस्तान्तरण करे, ना ही वादग्रस्त भूमि का रहन बेयान करे, ना ही भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

खुर्द बुर्द करे, नाही निर्माण कार्य करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उपस्थित आये, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण के दादा, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब एवं राजीनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली है।

3. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात वादीगण के दादा ने राजीनामा पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित राजीनाम पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा भी पेश किया। जवाब दावे में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि में परिवारिक सजरे के मुतातिक मिन प्रतिवादी के दर्ज हिस्सा 1/2 में से वादीगण का 1/8 हिस्सा बनता है, जिस पर वादीगण के नाम हिस्से अनुसार भूमि दर्ज किये जाने पर अनापत्ति , जाहिर की। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को राजीनामे पर सुना गया। जिसे पढ, सुनाया गया, जिसे सुन एवं समझ कर सही पाया जाने पर तस्दीक किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं राजीनामा पर की गई बहस पर मनन करने के पश्चात् वादीगण का वाद राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः–

आदेश है कि

दावा वादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आशिंक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 193,194, 65, 66 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9852 है0. वाके ग्राम कानड़वास पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी में वादीगण को सम्पूर्ण भूमि में खातेदार कैलाश पुत्र रामेश्वर जाति महाजन हिस्सा 1/2 में से दर हिस्सा 1/8 अर्थात वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/16 – 1/16 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:–116 / 2024 जी.सी.एम.एस नं0 2024 / 128

वादीगण

1. अंबिका पुत्री स्व. जितेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज. नाबालिग जरिए संरक्षिका प्राकृतिक माता रचिता खण्डेलवाल पुत्री श्री सतीश चन्द गुप्ता जाति महाजन हाल आबाद–17 पटेल नगर प्रेम नगर पुलिया आगरा रोड जयपुर।
2. कानव पुत्र स्व. जितेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज. नाबालिग जरिए संरक्षिका प्राकृतिक माता रचिता खण्डेलवाल पुत्री श्री सतीश चन्द गुप्ता जाति महाजन हाल आबाद 17 पटेल नगर प्रेम नगर पुलिया आगरा रोड जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. कैलाश पुत्र रामेश्वर जाति महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.
2. श्रीमति प्रतिमा गुप्ता पुत्री कैलाश पत्नि श्री नरेश खूंटेटा हाल निवासी विद्युत नगर जयपुर राज.।
3. गौरव पुत्र कैलाश जाति महाजन (खण्डेलवाल)निवासी प्लाट नं. 11ए, बृजपुरी जगतपुरा जयपुर राज.।
4. भावना पुत्री स्व. जगदीश नाबालिग जरिये संरक्षिका सरपरस्त माता रामजानकी कौम महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।
5. सेनू पुत्र स्व. जगदीश ना.बा. जरिये संरक्षिका माता रामजानकी कौम महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।
6. रामजानकी पत्नि स्व. जगदीश जाति महाजन कौम महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.
7. सत्यनारायण पुत्र गोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम कानडवास तहसील बस्सी जिला जयपुर राज.।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

<u>दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :–श्री कुलदीप किशोर शर्मा, एड0 वादीगण।

<u>पर्चा डिक्री</u> दिनांक 06 / 06 / 2025

दावा वादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 193,194, 65, 66 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9852 है0. वाके ग्राम कानड़वास पटवार हल्का बूडथल तहसील बस्सी में वादीगण को सम्पूर्ण भूमि में खातेदार कैलाश पुत्र रामेश्वर जाति महाजन हिस्सा 1/2 में से दर हिस्सा 1/8 अर्थात वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को हिस्सा 1/16 – 1/16 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 06 / 06 / 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner